


शहडोल जिला न्यायालय में श्रीमान ~~कान्हेय्य महोदय~~ ~~शहडोल~~ ~~जिला~~ ~~शहडोल~~ ~~महोदय~~ ~~के~~ ~~विरुद्ध~~ ~~आदेश~~ ~~दिनांक~~ ~~31.03.2016~~

401



R 5220 III/16

शहडोल जिला न्यायालय (म.प्र.)
30 APR 2016
रिडर
जयसिंह

- 1 सत्येन्द्र मिश्रा आयु 32 वर्ष पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 2 श्रीमती कृष्णा मिश्रा आयु 58 वर्ष पति रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 3 शैलेन्द्र मिश्रा आयु 30 वर्ष पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 4 शिवेन्द्र मिश्रा आयु 27 वर्ष पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 5 सुनीता मिश्रा आयु 44 पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 6 सविता मिश्रा आयु 42 वर्ष पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
 - 7 कविता मिश्रा आयु 38 वर्ष पिता रमेश प्रसाद मिश्रा
- सभी निवासी जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर
जिला शहडोल म0प्र0

निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1 लक्ष्मी नारायण गुप्ता पिता रामखेलावन गुप्ता
 - 2 शिवकांत पिता रघुनाथ प्रसाद गुप्ता
- दोनो निवासी ग्राम जयसिंहनगर तहसील जयसिंहनगर
जिला शहडोल म0प्र0
- 3 म0प्र0 शासन

उत्तरदातागण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान
तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्र0
3/अ-12/2006-07 आदेश
दिनांक 31.03.2016
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू
राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर विनय है कि -

संक्षिप्त विवरण

यह कि आवेदकगण/निगरानीकर्तागण के पिता रमेश प्रसाद मिश्रा की मृत्यु दिनांक 29.12.2015 को हो चुकी है मृत्यु उपरांत रमेश प्रसाद

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग.-5220-दो/2016

जिला-शहडोल

सत्येन्द्र मिश्रा आदि विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019 22.01.2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बृजेश तिवारी उपस्थित।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार शहडोल, जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 28-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	


(अ.स.के. जैन)
सदस्य 22/01/19.